न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 163 / 2012 / जैसलमेर

अपीलांट

1. सगताराम पुत्र लाभूराम उम्र 71 वर्ष के कायम मुकामः–
   1 / 1नारायणराम पुत्र श्री सगताराम उम्र 45 वर्ष
   1 / 2प्रहलादराम पुत्र श्री सगताराम उम्र 28 वर्ष
   1 / 3देवीलाल पुत्र श्री सगताराम उम्र 28 वर्ष
   1 / 4कंवरो पत्नी सगताराम, उम्र 75 वर्ष
   1 / 5जसोदा पुत्री सगताराम उम्र 29 वर्ष
   1 / 6कमला पुत्री सगताराम उम्र 25 वर्ष
   1 / 7जेठी पुत्री सगताराम उम्र 24 वर्ष
   1 / 8धाई पुत्री सगताराम उम्र 23 वर्ष
2. हुकमाराम के कायम मुकामः–
   2 / 1मनोहरलाल पुत्र श्री हुकमाराम उम्र 36 वर्ष
   2 / 2अशोक कुमार पुत्र श्री हुकमाराम उम्र 34 वर्ष
   2 / 3छोटूलाल पुत्र श्री हुकमाराम उम्र 18 वर्ष
   2 / 4अजबो पत्नी श्री हुकमाराम उम्र 50 वर्ष
   2 / 5असनी पुत्री श्री हुकमाराम उम्र 35 वर्ष
   2 / 6माया पुत्री श्री हुकमाराम उम्र 25 वर्ष
   निवासीयान डांगरी, राजस्व ग्राम समेलनगर तहसील फतेहगढ एवं जिला जैसलमेर।

रेस्पोर्डेटगण

बनाम1.लूणा पुत्र मूला जाति दरोगा (रावणाराजपूत) निवासी डांगरी तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर (राज.)
2.श्रीमान तहसीलदार साहब, फतेहगढ
3.प्रेमसिंह पुत्र ठाकुरसिंह
4.मिश्रीसिंह पुत्र ठाकुरसिंह जातियान राजपूत निवासीयान डांगरी तहसील फतेहगढ।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर जैसलमेर द्वारा मु.संख्या12 / 1982 बअनवान लूणा बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.1983 के विरूद्व पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री भवानी शंकर अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री करनाराम चौधरी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– **20.08.2019**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटान के पिता व पति स्वर्गीय लाबूराम उर्फ लाभू के नाम से गत् सरसरी बंदोबस्त के समय ग्राम पाबनासर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तहसील फतेहगढ में उसकी खातेदारी में एक खेत खसरा संख्या 46 रकबा 115 बीघा दर्ज हुआ था जिस खेत में रोईडा वाला के नाम से पुकारा जाता था तथा बुलीनाडी के पास स्थित होने से इसे बुलीवाला भी कहते है। तथा इस खेत का कब्जा काश्त पीढ़ियों से आजतक चला आ रहा था। इस खेत की बीघोड़ी स्व. लाबू ही अदा करते आ रहे थे। पैमाईशी तुलनात्मक रेकर्ड जब संवत 2022 के आसपास बना तब पैमाईश वालों की भूल या मिलावट से मूल खसरा संख्या 1134 का रकबा 137.14 बीघा की जगह 77.14 बीघा रखते हुए 60 बीघा भूमि कट गई जिसका नया खसरा संख्या 1134/1611 रकबा 60 बीघा बन गया। एवं मूल खसरा संख्या 1134 का रकबा 77.14 बीघा कायम रह गया था। इस रेकर्ड के बनते समय स्व. लाभू की खातेदारी की 60 बीघा भूमि काट कर सिवायचक दर्ज कर दी गई। तुलनात्मक रेकर्ड बनते समय रेस्पोडेंट लूणा की भूमि 72.18 बीघा भूमि कट गई थी। रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपनी कटी हुई भूमि को पूर्ण करने के लिए स्व. लाभू को नुक्शान पहुंचाने के लिए एवं अपनी भूमि पुनः पूरी करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया। जिसमें स्व. लाभू को पक्षकार ही बनाया जाकर अपीलांटान की भूमि जो गलत तौर पर 60 बीघा कट कर खालसा दर्ज हो गई थी उस भूमि को हड़प करने के लिए एकतरफा तौर पर डिक्री प्राप्त कर ली।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रस्तुत राजीनामा पर उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा दिनांक 20.08.2019 को हो गया है जिससे इनके मध्य जो अपील पेश करते समय विवाद था वो खत्म हो गया है तथा लिखित में राजीनामा न्यायालय में पेश किया गया है उस अनुसार न्यायालय आदेश पारित करता है तो हमे कोई आपत्ति नहीं होगी।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि पक्षकारों के मध्य दिनांक 20.08.2019 को जो लिखित राजीनामा लोक अदालत की भावना से किया गया है उसके अनुसार न्यायालय विधि सम्मत निर्णय पारित करे जिससे रोजाना के लिए पक्षकारों के मध्य का विवाद खत्म हो जाये। लिखित राजीनामा राजीखुशी एवं अपनी मर्जी से किया गया है। उस अनुसार न्यायालय आदेश पारित करता है तो हमे कोई आपत्ति नहीं होगी।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस एवं राजीनामा पर मनन किया। उभयपक्ष ने अपने हस्ताक्षर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

युक्त राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पाबनासर का वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 1134/1611 नवीन खसरा संख्या 637 रकबा 60 बीघा में से 3/10 हिस्सा रकबा 18 बीघा बतरफ पश्चिम अपीलांट को व 7/10 हिस्सा रकबा 42 बीघा बतरफ पूर्व रेस्पोडेंटस के नाम खातेदारी घोषित करने हेतु पेश किया। **रेस्पोडेंट संख्या 01 लूणा ने वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 637 रेस्पोडेंट संख्या 03 व 04 को रजिस्टर्ड बकशीस कर दी है जिसका म्यूटेशन अभी तक नहीं हुआ है। बकशीस करने से रेस्पोडेंट संख्या 01 लूणा का हक अधिकार वादग्रस्त भूमि में नहीं रहा है** इस कारण खसरा संख्या 637 में अपीलांट के हक की 18 बीघा भूमि निकालने के बाद शेष 42 बीघा भूमि रेस्पोडेंट संख्या 03 तथा 04 के नाम दर्ज करने का निवेदन किया गया।

अपीलांट व रेस्पोडेंट पक्ष ने अपील में वादग्रस्त भूमि के संबंध में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर आपसी सहमति से उभयपक्ष में भूमि का हक–हिस्सा तय कर लिया है। उभयपक्ष के अभिभाषक एवं उपस्थित पक्षकारों की पहचान के पश्चात सहमति स्वरूप हस्ताक्षरित राजीनामा तस्दीक कर शामिल मिसल किया गया। मामले में राजीनामा के मुताबिक अपील का निर्णय किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

अपील अपीलांट आंशिक रूप से मुताबिक लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार कर सहायक कलक्टर जैसलमेर द्वारा मु.संख्या12/1982 बअनवान लूणा बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.1983 में आंशिक संशोधन करते हुए ग्राम समेलनगर के खेत खसरा संख्या 637 रकबा 60 बीघा में अपीलांटस का 3/10 हिस्सा (पश्चिमी) तथा रेस्पोडेंट संख्या 03 व 04 का 7/10 हिस्सा (पूर्वी) खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार फतेहगढ को आदेशित किया जाता है कि वह तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करे।

20/8/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 20.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/8/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner